भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3439

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज

3439. श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालय चल रहे हैं और उनमें उपलब्ध स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों तथा उनसे संबद्ध अस्पतालों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और चिकित्सकों, विशेषज्ञ डाक्टरों, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में प्रतिवर्ष कुल कितने चिकित्सकों ने चिकित्सा स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है और राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्त किए गए चिकित्सकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में चिकित्सकों और विशेषज्ञों की कमी को दूर करने तथा चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य में सात सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 846 एमबीबीएस सीटें हैं और एक निजी मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 एमबीबीएस सीटें हैं। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 307 स्नातकोत्तर सीटें और एक निजी मेडिकल कॉलेज में 93 स्नातकोत्तर सीटें हैं।

जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, अत: जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने का मुख्य दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त

प्रस्तावों के आधार पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों, चिकित्सा उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए सहायता भी शामिल है।

हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और जिला अस्पतालों में स्वीकृत और कार्यरत डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों और उनके रिक्त पदों से संबंधित विवरण हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं:

https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf

पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के दौरान एमबीबीएस और स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) पाठ्यक्रम पूरा करने वाले डॉक्टरों की संख्या से संबंधित विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है। इस योजना में अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है जहां कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में चंबा, हमीरपुर और नाहन में तीन मेडिकल कॉलेजों को अनुमोदन दिया गया है और तीन कार्यशील हैं।

इसके अतिरिक्त, मौजूदा राज्य/केंद्रीय सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन हेतु सीएसएस के तहत एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:

(i) छह मेडिकल कॉलेजों में 120 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, जिसकी कुल स्वीकृत लागत ₹144 करोड़ है; और
(ii) एक मेडिकल कॉलेज में 17 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि, जिसकी कुल स्वीकृत लागत ₹14.50 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों के निर्माण के जरिए से सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन संबंधी घटक के तहत टांडा और शिमला के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
